संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर

क्र./टीका./2020/59 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 28/04/20

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. जिला टीकाकरण अधिकारी

जिला–समस्त छत्तीसगढ़

विषयः–कोविड–19 महामारी के दौरान टीकाकरण सेवायें प्रदान किये जाने हेतु दिशा–निर्देश बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोविड–19 महामारी के दौरान भी समस्त आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें निरंतर रूप से प्रदान की जानी है, जिसमे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से सुरक्षा हेतु नियमित टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सेवा है।

कोविड–19 महामारी के दौरान टीकाकरण सेवाये प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न जिलो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः–

1. हॉटस्पॉट जिले (रेड जोन) :–ऐसे जिले जिसमें एक साथ समूह में कोविड–19 केस मिले हो अर्थात् राज्य के 80 प्रतिशत केस इन जिलों से हो या चार दिवस में यहां कोविड–19 केस दोगुने हो गये हो।
2. नॉन हॉटस्पॉट जिले (ऑरेंज जोन) :– ऐसे जिले जहां एक या एक से अधिक केस मिले हो परंतु समूह में न हो।
3. नॉन इंफेक्टेड जिले (ग्रीन जोन) :– ऐसे जिले जहां अब तक एक भी केस न मिले हो।

हॉट स्पॉट एवं नॉन हॉट स्पॉट जोन को कोविड–19 के प्रकणों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया हैः–

1. कन्टेनमेंट जोन
2. बफर जोन
3. बफर जोन को छोड कर

यह जोन प्रति सप्ताह कोविड–19 के प्रकरण की संख्या के अनुसार अद्यतन किये जायेंगें तदानुसार टीकाकरण सेवायें प्रदान किये जाने हेतु दिशा–निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

टीकाकरण सेवाये प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्र के आधार पर निम्नानुसार सत्र का आयोजन किया जावेः–

क्षेत्र का विवरण	बर्थ डोज	संस्थागत सत्र	आउटरीज सत्र
कन्टेनमेंट जोन एवं बफर जोन	सेवायें जारी रखे	*आयोजित न करे	आयोजित न करे
बफर जोन के अलावा (रेड एवं ऑरेंज जोन क्षेत्र के लिये)	सेवायें जारी रखे	आयोजित न करे	सामान्य दिशा–निर्देशों का पालन करे
नॉन इन्फेक्टेड जोन	सेवायें जारी रखे	सेवायें जारी रखे	सेवायें जारी रखे

Scanned by CamScanner

नोटः– यदि टीकाकरण योग्य लाभार्थी किसी भी क्षेत्र (कन्टेनमेंट / बफर / नॉन इन्फेक्टेड जोन) के स्वास्थ्य संस्था में आये तो उन्हे टीकाकरण सेवायें प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

कोविड–19 के दौरान टीकाकरण हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

- समस्त टीकाकरण सत्र जिला अधिकारियों द्वारा कोविड–19 के सामान्य दिशा–निर्देशो (फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉसिंग एवं रेस्पीरेटरी हाइजीन) का पालन करते हुये सावधानी पूर्वक प्लान किया जावे।
- प्रति सत्र अधिकतम 10 से 15 लाभार्थी ही उपस्थित हो।
- टीकाकरण सत्र के दौरान स्टैगर्ड अप्रोच का पालन करे एवं लाभार्थियो को अलग–अलग समय (टाइम स्लॉट) पर बुलाया जावे। प्रत्येक टाइम स्लॉट एक घंटे का होगा एवं एक स्लॉट में अधिकतम 05 लाभार्थी हो, जिससे प्रत्येक लाभार्थी के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनी रहे।
- लाभार्थी की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक से अधिक सत्र का आयोजन किया जा सकता है।
- समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में लाभार्थी को अवश्य रूप से बर्थ डोज की सेवा प्रदान की जावे।
- प्रत्येक टीकाकरण सत्र हेतु पंचायत एवं शहरी विकास विभाग से समन्वय कर सत्र हेतु पूर्व मे ही स्थान का चयन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के दिशा–निर्देश अनुसार बैठक व्यवस्था, तथा आगमन एवं निकास की व्यवस्था करें। टीकाकरण सत्र के पश्चात् उस स्थान / बैठक व्यवस्था एवं अन्य सामग्री का सैनिटाइजेशन करना सुनिश्चित करें।
- वैक्सीनेटर द्वारा टीकाकरण सत्र प्रारंभ करने के पूर्व एवं पश्चात् अपने हाथों को साबुन से धोना अनिवार्य है। प्रत्येक लाभार्थी को टीकाकृत करने के बाद, वैक्सीनेटर द्वारा सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है।
- वैक्सीनेटर एवं अन्य सहायक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। इसी प्रकार सत्र में आये लाभार्थी एवं अभिभावक का हैड हाइजीन सुनिश्चित करें।
- पर्याप्त मात्रा में एम.सी.पी. (टीकाकरण) कार्ड, टीका, सैनिटाइटजर, साबुन एवं अन्य लॉजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- टीकाकरण सत्र संपन्न होने के बाद सभी बायो मेडिकल वेस्ट, तथा सीरिंज, नीडल आदि के डिस्पोजल हेतु लाल तथा काले बैग का उपयोग करते हुये कोल्ड चेन पॉइंट में लाना सुनिश्चित करें । कोल्ड चेन पॉइंट में नियमित टीकाकरण से संबंधित बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के दिशा–निर्देश का पालन करते हुये निराकरण करें।

टीकाकरण सत्र / परिवार भ्रमण के दौरान हितग्राही का परामर्श निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य किया जावेः–

- कोविड–19 की वर्तमान स्थिति में भी गर्भवती माता एवं बच्चो का टीकाकरण जारी रखे।
- फिजिकल डिस्टेंसिंग के संबंध में समुदाय को जागरूक करे।
- हैंड हाइजीन (20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग) के संबंध में बताये।

Scanned by CamScanner

- संक्रमण से बचाव हेतु मास्क/गमछे/रूमाल/स्वच्छ कपडे के सही प्रयोग का प्रदर्शन कर समझावें।
- टीकाकरण सत्र के दौरान कोविड–19 संबंधित उपलब्ध प्रचार–प्रसार सामग्री का उपयोग करें।
- राज्य एवं जिला स्तर से प्राप्त कोविड–19 संबंधित आवश्यक आधिकारिक मीडिया संदेशो को हितग्राही एवं समुदाय के साथ साझा करें।

संलग्नः– कोविड–19 के प्रकरण के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार प्रदान किये जाने वाले टीकाकरण सेवाओ का विवरण।

संचालक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अटल नगर, रायपुर, छ0ग0

क्र./टीका/2020/60 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 28/04/20

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
5. एस.आर.टी.एल., WHO, पुराना हेल्थ संचालनालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
6. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, रायपुर छ.ग.।
7. वरिष्ठ प्रोग्राम अधिकारी, UNDP, रायपुर छ.ग.।

संचालक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अटल नगर, नवा रायपुर, छ0ग0

Scanned by CamScanner

COVID-19 के प्रकरण के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार प्रदान किये जाने वाले टीकाकरण सेवाओ का विवरण

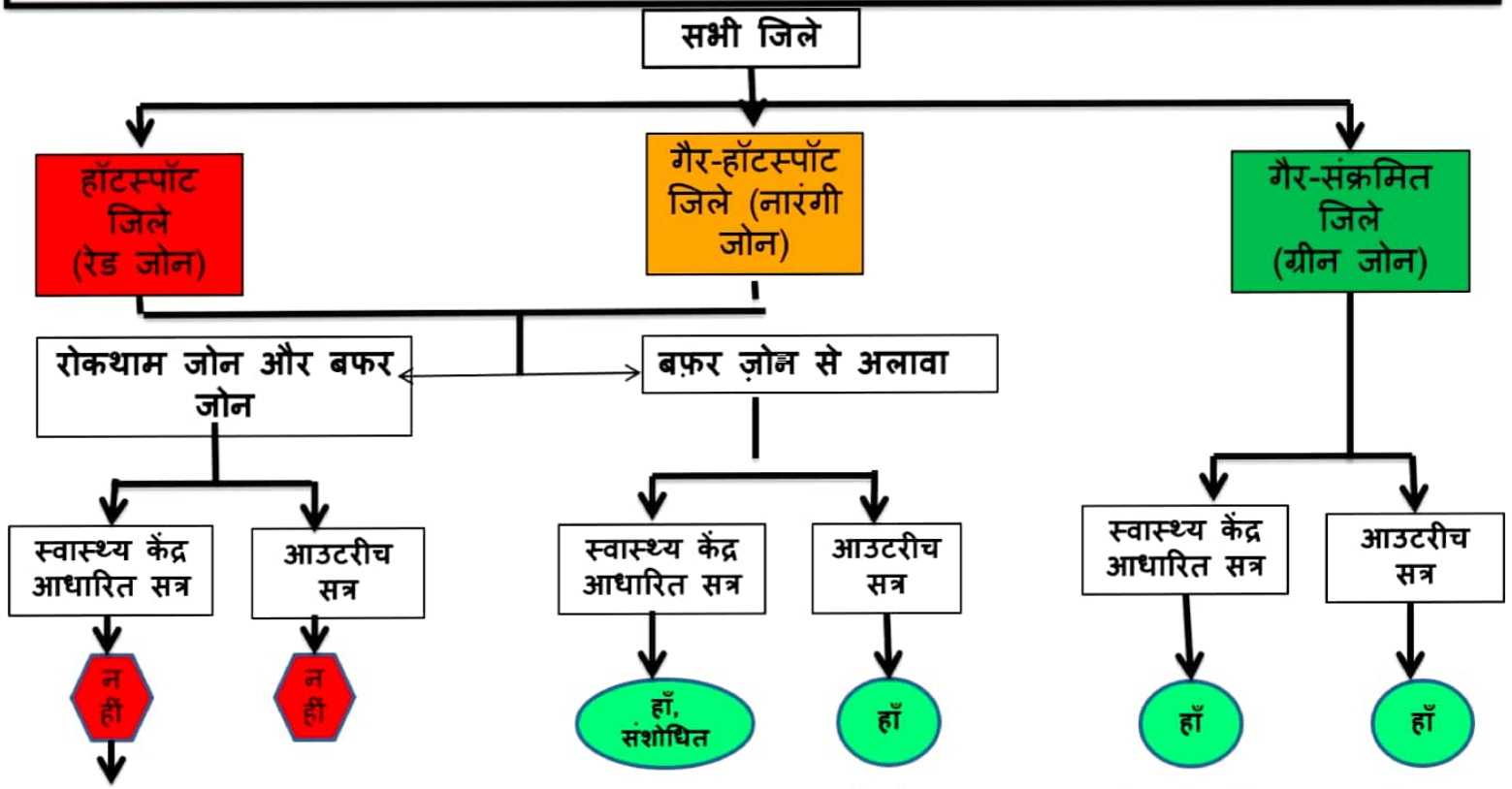

*संस्था मे आने वाले टीकाकरण योग्य प्रत्येक लाभार्थी को टीकाकरण की सेवाये प्रदान की जावे।

समस्थ ज़ोन और श्रेणियों मे स्वास्थ्य केन्द्रों में जन्म पर दी जाने वाली टीकाकरण खुराक प्रदान की जावेगी |

Scanned by CamScanner